



**UPSI180002192016**

**न्ययलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur**  
**पैठसीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh). (उम्फ्र न्ययिकि सेव) - UP03730**

मूलवाद सं० Civil Suit/111/2016

**ashok kumar gupta Vs. krishna devi and others**

04.08.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं, प्रतिवादी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में वादी की ओर से पूर्व कुछ नियत तिथियों से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। आज भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पुनः एक अवसर देते हुए पत्रावली लंच उपरान्त प्रस्तुत हो।

लंच उपरान्त—

पुनः वाद पुकारा गया। प्रतिवादी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। न तो वादी की ओर से कोई उपस्थित है और न ही उसकी ओर से मोहलत/स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी की कोई अभिरुचि अब इस वाद के संचालन में नहीं है। इस कारण यह मूल वाद वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

यह मूल वाद वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी सं० 2 की उपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी०पी०सी० के अर्न्तगत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज जू० डि०  
महमूदाबाद, सीतापुर।  
J.O. Code-UP3730

अजय/स्टेनो